क्रम सं॰	योजना अवधि तथा शहर का नाम
28.	मौनाथ भंजन
29.	शांदिला
30.	पीलीभीत
31.	बहराइच
32.	ललितपुर
33.	मिर्जापुर
34.	इटावा
35.	सम्भल
36.	हलद्वानी
1990-91	
37.	लखीमपुर
38.	सिकंदरा राव
39.	कोंच
40.	कैराना
41.	मोदी नगर
42.	जलेसर
43.	औरैया
44.	रुड़की
45.	गोंडा
1991-92	
46.	मवाना
47.	काशीकलां
48.	सिकंदराबाद
49.	बिलासपुर
50.	मौरनीपुर
51.	चुनार
52.	मुजफ्फर नगर

मध्य प्रदेश नगरीय परियोजना

2965. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के मिशन द्वारा माह अप्रैल-मई 1990 में मध्य प्रदेश की प्रथम नगरीय परियोजना की समीक्षा की गई थी और उनके द्वारा यह निर्णय भी लिया गया था कि मध्य प्रदेश सरकार द्वितीय चरण की परियोजना तैयार कर के केंद्र सरकार को भेजें;

(ख) क्या मध्यप्रदेश सरकार ने नगरीय परियोजना का प्रारूप तैयार करके सरकार को भेज दिया है; यदि हां, तो उसे कब भेजा गया तथा इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि की मांग की गई है इन धनराशियों को कब तक स्वीकृत प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम): (क) से (ग) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने एक परियोजना प्रस्ताव भेजा था जिसमें मध्य प्रदेश के पांच शहरी क्षेत्रों में बढ़ती हुई शहरी विकास की मांग को संभालने और पूरा करने के लिए नया संस्थागत और वित्तिय ढांचा कायम करने की आवश्यकता का खुलासा किया गया है। प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लगात 700/- करोड़ रुपए है और यह पांच नगरों अर्थात इंदौर, रायपुर, भोपाल, जबलपुर एंव ग्वालियर में चलाई जाएगी। परियोजना घटकों में क्षेत्र विकास, भूमि विकास तथा बुनियादी सुविधाओं, परिवहन और तकनीकी सहायता का विकास का समावेश है। राज्य सरकार ने फिलहाल परियोजना की केवल रूपरेखा ही प्रस्तुत की है। परियोजना का अन्तिम स्वरूप, दायरा तथा आकार, बाह्य सहायता हेतु तकनीकी साध्यता/संसाधन मंजूरी/विस्तृत परियोजना की विश्व बैंक की क्रियाविधि सहित तैयारी दाता की पंसद और दाता एजेंसियों के द्वारा वायदा राशि की उपलब्धता जैसी बाह्य सहायता संबंधी औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद उभर कर सामने आयेगा।

जल और बिजली के संबंध में शिकायतें

2966. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान सरकार को दिल्ली के कौन-कौन से क्षेत्र में जल और बिजली की पूर्ति के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम): (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान तथा दिल्ली जल आपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान को प्राप्त हुई शिकायतें और उनके समाधान दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं। दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों में वितरण पद्धति के अन्तिम छोर पर स्थित क्षेत्रों

अथवा ऊंचे क्षेत्रों में विशेषकर गर्मियों के दौरान पानी की कमी महसूस की जाती है। दिल्ली जल आपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान द्वारा सूचित ऐसे क्षेत्रों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है (नीचे देखिए) नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्रों में मोती बाग, नेताजी नगर, नारौजी नगर और किदवाई नगर जैसी सरकारी कालोनियों में विशेषकर गर्मियों के दौरान पानी की कमी महसूस की जाती है।

(ख) दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान द्वारा कई जलाशय सह बूस्टर स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है जो पूर्ण/चालू होने वाले हैं और इसके परिणामस्वरूप पानी के सही वितरण से इलाकों को लाभ मिलने की सम्भावना है। नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्रों में नियंत्रण कक्ष पानी के टैंक भेजकर पानी की कमी की शिकायत का समाधान करता है। शीघ्र कार्यवाही हेतु नई दिल्ली नगर पालिका के "बिजली न होने की शिकायतों के" 13 शिकायत केन्द्र हैं। डेसू ने व्यापक तौर पर शिकायत के केन्द्र कायम किए हैं और "बिजली न होने की शिकायतों" पर कार्यवाही के लिए एक केन्द्रीकृत शिकायत केन्द्र स्थापित किया गया है।

विवरण

1. महरौली जोन

दक्षिणपुरी, हरकेश नगर, तुगलकाबाद, घिटोरनी, महरौली और आस-पास के गांव।

2. नई दिल्ली और दक्षिणी जोन

मदनगीर, साकेत, मालवीय नगर, इंडियन एअर लाइन्स कालोनी, बसन्त विहार, कालकाजी (गोविन्द पुरी), ईस्ट आफ कैलाश, अमृतपुरी, हरीनगर आश्रम और कोटला मुबारकपुर।

3. रोहिणी जोन

पीतमपुरा, रोहिणी सेक्टर 9, 13 और 14 तथा अन्य क्षेत्र।

4. नांगलोई/नरेला जोन

निजामपुर, टटेसर, घेवरा, कंझावला, रानी खेड़ा, मुबारकपुर डबास, रसूलपुर, मदनपुर, चांदपुर खादर, चांद पुर कंला, सलहपुर माजरा, करारा, मुण्डका, नागलोई और आस-पास के गांव।

5. एस०पी० जोन

नवी करीम, सदर बाजार और समीपस्थ ईदगाह क्षेत्र।

6. करोल बाग जोन

बलजीत नगर, बापा नगर, नारायणा गांव, टोडापुर, न्यू राजिन्द्र नगर, ओल्ड राजिन्द्र नगर, फरीदपुरी, देवनगर।

7. पश्चिमी जोन

रमेश नगर, कीर्ति नगर, मोती नगर, अशोक नगर, हरी नगर के कुछ भाग और जेल रोड (नांगल राय) के चारों ओर का क्षेत्र, कृष्णापुरी, कृष्णा पार्क।

8. नजफगढ़ जोन

जीवन पार्क, धूल सिरस, नंगली सकरावती, नजफगढ़, मलिकपुर, कैर, हिरणकुदना, दौलतपुर, खेड़ा झुलझुली, घुमन हेडा, राज नगर साध नगर, सागरपुर बिन्दापुर, विजय पार्क अनूप नगर, दरियापुर, बकखाता।

Fire Safety Measures in High rise Buildings

2967. SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Delhi Fire Service in a recent survey had detected a number of Government and Private high rise buildings in the National Capital which had not complied with the 12-point fire safety measures provided by law in this regard;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what action has so far been taken against each of Government and private buildings by the concerned authorities; and

(d) what action Government propose to take to ensure that high rise buildings in the capital provide compulsory fire safety measures?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The Delhi Fire Service carried out a survey in November & December to ascertain the compliance of 12 fire safety requirements in high rise buildings unsafe from fire safety and means of escape angles.

(b) The Delhi Fire Service have detected 129 buildings in Delhi which